समग्र शिक्षा कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण

कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण उद्देश्य : समग्र शिक्षा के तहत् विद्यालयों में बच्चों के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रभाव से अवगत होना तथा कार्यक्रमों का समुदाय के माध्यम से मूल्यांकन करना सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त समुदाय, अभिभावकों शिक्षकों जिला/प्रखण्ड/संकुल स्तरीय संबंधित पदाधिकारियों एवं जिला उपायुक्त के नामित प्रतिनिधियों के समक्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करना तथा सामाजिक अंकेक्षण से उभरकर आये तथ्यों/मुद्दों को हल करना इसका उद्देश्य था।

प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा–निदेशों के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का संयुक्त रूप से चयनित विद्यालयों में पायलट बेसिस पर त्तीय पक्ष के द्वारा फरवरी, 2019 में सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था। इसके लिए 1256 विद्यालय चयनित किये गये थे जिसमें से 1233 विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण ईकाई, झारखण्ड राज्य आजीविका कार्यक्रम, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड जिसे तृतीय पक्ष के रूप में चुना गया था, के द्वारा कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण – ''अपने आपके मूल्यांकन हेतु एक कदम आगे''

राज्य के निर्णय के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के लिए विद्यालयों के चयन के लिए निम्नालिखित मानदंड निर्धारित किए गए थे :–

1. 500 या इससे अधिक नामांकन वाले कुल विद्यालयों के 50 प्रतिशत् स्कूलों का चयन सामाजिक अंकेक्षण के लिए किया गया।
2. 250–500 के बीच नामांकन वाले कुल विद्यालयों के 10 प्रतिशत् स्कूलों का चयन सामाजिक अंकेक्षण के लिए किया गया ।
3. 250 से कम नामांकन वाले कुल विद्यालयों के 1 प्रतिशत विद्यालयों का चयन सामाजिक अंकेक्षण के लिए किया गया ।
4. छोटे प्रखण्ड के कम से कम 3 विद्यालय (05 पंचायत वाले), मध्यम आकार के प्रखण्ड के कम से कम 5–6 विद्यालय एवं बड़े प्रखण्ड के कम से कम 10 विद्यालयों का अंकेक्षण के लिए लिया गया।
5. प्रखण्डवार 3 प्रतिशत् अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसा को अंकेक्षण के लिए चुना गया।

सामाजिक अंकेक्षण के तहत् निम्न मुद्दे लिये गये थेः–

- नामांकन एवं ठहराव तथा अगली कक्षा में प्रोन्नति
- शिशुपंजी का अद्यतीकरण
- विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय प्रबंधन विकास समिति के सदस्यों क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण
- बाल सुविधाएँ – पोशाक वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक
- विद्यालय किट
- यू–डाइस/CAL/ICT, पुस्तकालय
- बाल संसद का क्रियान्वयन
- विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- ज्ञानसेतु एवं ई–विद्यावाहिनी कार्यक्रम, विद्यालय मर्जर
- विद्यालय संरचना, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था।
- आय–व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 1233 विद्यालयों का समाजिक अंकेक्षण किया गया जिसका प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय सुनवाई पूर्ण की गई। जिलावार अंकेक्षण के दौरान उठाये गए मुददों की संख्या एवं इसके अनुपालित मुददों की संख्या से संबधित विवरणी निम्नवत् हैः–

जिलावार सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में प्रखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई में निष्पादित मुद्दों की विवरणी एवं राज्य स्तरीय सुनवाई हेतु अग्रसारित मुद्दों की विवरणी (2018 – 19)							
क्र0 सं0	जिला का नाम	अंकेक्षण हेतु लक्षित विद्यालयों की संख्या	अंकेक्षण में शामिल कुल विद्यालयों की संख्या	कुल विद्यालयों की संख्या जिसमें मुद्दे चिन्हित किये गये	कुल मुद्दों की संख्या	जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर अनुपालित मुद्दों की संख्या	राज्य स्तर पर सुनवाई हेतु अग्रसारित एवं सुनवाई किए गए मुद्दों की संख्या
1	हजारीबाग	50	46	40	228	136	92
2	रामगढ़	30	30	30	64	32	32
3	कोडरमा	28	28	28	158	140	18
4	चतरा	44	43	44	192	177	15
5	बोकारो	53	53	52	319	309	10
6	धनबाद	70	70	70	331	210	121
7	गिरीड़ीह	89	89	10	349	283	66
8	राँची	74	72	74	40	33	7
9	खूँटी	21	20	21	75	67	8
10	गुमला	26	24	26	111	105	6
11	सिमडेगा	22	22	22	130	91	39
12	लोहरदगा	29	27	27	58	43	15
13	पूर्वी सिंहभूम	122	122	122	45	39	6
14	पश्चिमी सिंहभूम	69	68	15	156	149	7
15	सरायकेला	30	30	30	156	149	7
16	देवघर	59	59	59	195	168	27
17	दुमका	50	50	40	160	126	34
18	जामताड़ा	30	29	27	60	16	44
19	गोड्डा	56	56	56	202	163	39
20	पाकुड़	49	49	49	155	130	25
21	सहेबगंज	68	67	42	174	147	27
22	पलामू	71	65	43	278	183	95
23	लातेहार	38	36	38	195	169	26
24	गढ़वा	78	78	55	586	7	579
कुल		**1256**	**1233**	**1020**	**4417**	**3072**	**1345**

उक्त सामाजिक अंकेक्षण के प्रमुख अवलोकित बिन्दु (Major Findings) मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

i. वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम चरण के रूप में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी 24 जिलों के 265 प्रखण्डों के अंतर्गत 1233 विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।

ii. कुल Audited विद्यालयों में से 98.21 प्रतिशत विद्यालयों में बाल पंजी पाया गया एवं जिसमें लगभग 74 प्रतिशत विद्यालयों में बाल पंजी अद्यतन भी था।

iii. कुल Audited विद्यालयों में से 1215 विद्यालयों में 05–18 आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय में लाने हेतु किये गये वार्षिक सर्वे संबंधी साक्ष्य पाये गये । साथ ही ''प्रयास कार्यक्रम'' के तहत 90 प्रतिशत विद्यालयों में हाउस का गठन किया गया है । परन्तु ''प्रयास कार्यक्रम'' की गतिविधि हेतु पुनः विद्यालयों में इस कार्यक्रम पर विशेष अभियान चला कर ध्यान देने की जरूरत महसूस की गई है जिसपर राज्य स्तर से आवश्यक कार्रवाई यथा इस कार्यक्रम से संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया गया ।

iv. कुल Audited विद्यालयों में PTR (Pupil Teachers Ration) संतोषप्रद पाया गया है। शिक्षकों का Rationalisation एवं शिक्षक नियुक्ति परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई देता है।

v. कुल Audited विद्यालयों में से 60 विद्यालय विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित थे जिसमें 42 विद्यालयों में कार्यक्रम संचालित पाया गया एवं 757 बच्चे प्रशिक्षणरत पाए गए ।

vi. विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में सभी प्रकार के विद्यालयों (सरकारी विद्यालय सहित) की बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत् बालकों से 5 प्रतिशत के लगभग अधिक पाया गया जो कि झारखण्ड के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा एक बड़ी उपलब्धि है।

vii. विद्यालयों में अंकेक्षण के दिन बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत के लगभग थी एवं विगत छः माह की औसत उपस्थिति 70 प्रतिशत के लगभग थी । उपस्थिति हेतु अभी और प्रयास करने की आवश्यकता पर सामाजिक अंकेक्षण यूनिट द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया ।

viii. कुल Audited विद्यालयों में बच्चों के Entitlements के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक के वितरण का प्रतिशत क्रमशः 81 – 71 के बीच पाया गया । विद्यालय किट्स की राशि नामांकन के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले बच्चों के खाते में सीधे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से राशि भेजी जाती है, अतः विद्यालय स्तर पर कतिपय विद्यालयों में आंकडा उपलब्ध नहीं रहने के कारण जानकारी अधूरी रही।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जब भी इस तरह की राशि बच्चों के खाते में हस्तांतरित की जाती है तो इसकी एक प्रति विद्यालय स्तर पर जानकारी हेतु प्रखण्ड स्तर पर गुरू गोष्ठी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अवश्य भेजी जाए।

ix. कुल Audited विद्यालयों के SMC के खाते में भेजे जानी वाली विद्यालय अनुदान की राशि 2017–18 एवं 2018–19 में क्रमशः 84 एवं 49 प्रतिशत है। वही अनुदान की राशि का इस्तेमाल दोनों वित्तीय वर्ष में क्रमशः 95 एवं 66 प्रतिशत अंकेक्षित विद्यालयों में पाया गया । लगभग 70 प्रतिशत विद्यालयों ने विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते का लेखा जोखा अद्यतन रखा था एवं लगभग 1.20 प्रतिशत विद्यालयों के ही लेखा जोखा में गड़बड़ी पायी गयी।

x. कुल Audited विद्यालयों के SMC का गठन या पुनर्गठन लगभग 92 प्रतिशत है। विद्यालय में होने वाले SMC की मासिक बैठक में सदस्यों के उपस्थिति का प्रतिशत और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है एवं SMC के कौन सदस्य किस विषयक किस तिथि को प्रशिक्षण लिए हैं, संबंधी लिखित सूचना विद्यालय में उपलब्ध रखने एवं प्रशिक्षण में भेजे जाने हेतु सूचना बही संधारण की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक के स्तर से सभी जिलों को आवश्यक निदेश देने का निर्णय लिया गया है ।

xi. कुल Audited विद्यालयों में Gyansetu कार्यक्रम के संचालन का सर्वे/फीड–बैक लगभग 60 प्रतिशत विद्यालयों में अच्छा एवं लगभग 16 प्रतिशत विद्यालयों में संतोषजनक पाया गया । परन्तु लगभग 24 प्रतिशत विद्यालयों से स्थिति अच्छी नहीं है या तो आंकड़ा शिक्षकों द्वारा ऑडिट टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया । 84 प्रतिशत विद्यालयों में Gyansetu कार्यक्रम की Study Materials आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध पायी गयी ।

xii. कुल अंकेक्षित विद्यालयों में E-Vidyavahini कार्यक्रम के तहत लगभग 82 प्रतिशत विद्यालयों में Tab एवं Bio-Metric Machine उपलब्ध पायी गई। जिसमें लगभग 54 प्रतिशत विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अलग सिम खरीद कर एवं रिचार्ज द्वारा टैब संचालित किया जा रहा है अथवा अपने स्वयं के मोबाईल के वाई फाई द्वारा टैब का संचालन किया जाता है। क्षेत्र में Internet Connectivity की स्थिति 66 प्रतिशत एवं शिक्षकों के Registration लगभग 76 प्रतिशत है ।

xiii. कुल Audited विद्यालयों के SDMIS का Updation लगभग 69 प्रतिशत एवं शिक्षकों का उपस्थिति टैब के माध्यम से लगभग 58 प्रतिशत है।

xiv. कुल Audited विद्यालयों में U-DISE भरे जाने का साक्ष्य लगभग 80 प्रतिशत पाया गया एवं विद्यालयों में लाईब्रेरी का संचालन लगभग 70 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध पाया गया।

xv. कुल Audited विद्यालयों में 205 विद्यालय ऐसे पाए गए जिसमें किसी न किसी विद्यालय का विलय हुआ था। विद्यालय विलय अंतर्गत सभी नियामकों को पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु अभी भी 40 प्रतिशत विद्यालयों के भवन Unused हैं तथा लगभग 50 प्रतिशत छात्र–छात्राएं अभी भी नये माहौल में ढल नहीं पाये हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये गये सामाजिक अंकेक्षण के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 5000 विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण करने का उद्देश्य रखा गया था जिसमें से कुल **4940 विद्यालयों में** तृतीय पक्ष के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया गया ।

राज्य के निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सामाजिक अंकेक्षण के लिए विद्यालयों के चयन के लिए निम्नालिखित मानदंड निर्धारित किए गए थेः–

1. 500 से अधिक छात्र/छात्राओं वाले विद्यालय जिनमें गत् वर्ष में सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है, को छोड़कर शेष ऐसे विद्यालय जहां 500 से अधिक छात्र/छात्राएँ हैं, अंकेक्षण के लिए चयनित किया जाना।
2. 250–500 के बीच नामांकन वाले 25 प्रतिशत् स्कूलों का चयन सामाजिक अंकेक्षण के लिए चयनित किया जाना।
3. 100–250 नामांकन वाले 15 प्रतिशत विद्यालयों का चयन सामाजिक अंकेक्षण के लिए चयनित किया जाना।
4. 100 से कम नामांकन वाले 10 प्रतिशत् विद्यालय चयनित किया जाना।
5. जिले के शत् प्रतिशत् मदरसा एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण के लिए चयनित किया जाना।

6. जिलों में जीरो ड्रॉप आउट घोषित पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।

जिलावार 2019–20 में अंकेक्षित किये गये विद्यालयों की संख्या संबंधी विवरणी निम्नवत् हैः–

समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रमों का चयनित विद्यालयों में जिलावार सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति प्रतिवेदन (2019 – 20)								
		प्रथम चरण (2019–20)		द्वितीय चरण (2019–20)		अंकेक्षण हेतु लक्षित विद्यालयों की संख्या	अंकेक्षित कुल विद्यालयों की संख्या	अंकेक्षित नहीं किये जा सकने वाले विद्यालयों की संख्या
क्र0 सं0	जिला का नाम	अंकेक्षण हेतु लक्षित विद्यालयों की संख्या	अंकेक्षण में शामिल कुल विद्यालयों की संख्या	अंकेक्षण हेतु लक्षित विद्यालयों की संख्या	अंकेक्षण में शामिल कुल विद्यालयों की संख्या			
	1	2	3	4	5	6 (2+4)	7 (3+5)	8
1	हजारीबाग	163	163	52	51	215	214	1
2	रामगढ़	70	70	20	20	90	90	0
3	कोड़रमा	74	74	24	24	98	98	0
4	चतरा	237	237	49	49	286	286	0
5	बोकारो	168	168	53	53	221	221	0
6	धनबाद	202	201	50	50	252	251	1
7	गिरीड़ीह	256	256	64	64	320	320	0
8	राँची	179	179	61	61	240	240	0
9	खूँटी	67	67	32	32	99	99	0
10	गुमला	123	123	27	27	150	150	0
11	सिमडेगा	64	64	24	24	88	88	0
12	लोहरदगा	56	56	17	17	73	73	0
13	पूर्वी सिंहभूम	154	154	51	51	205	205	0
14	पश्चिमी सिंहभूम	219	218	69	69	288	287	1
15	सरायकेला	136	136	42	42	178	178	0

16	देवघर	243	243	66	66	309	309	0
17	दुमका	269	269	66	66	335	335	0
18	जामताड़ा	106	106	36	36	142	142	0
19	गोड्डा	171	171	48	48	219	219	0
20	पाकुड़	120	120	30	30	150	150	0
21	सहेबगंज	160	160	43	43	203	203	0
22	पलामू	273	273	88	88	361	361	0
23	लातेहार	113	113	35	34	148	147	1
24	गढ़वा	228	228	46	46	274	274	0
	कुल	**3851**	**3849**	**1093**	**1091**	**4944**	**4940**	4

सामाजिक अंकेक्षण संबंधी अखबार में कवरेज

जनसुनवाई में शिक्षकों को दिया गया सुधार का निर्देश

हिरणपुर। संवाददाता

राज्यस्तरीय सोशल ऑडिट टीम ने शुक्रवार को प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंडस्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान टीम के कंचन कुमार मंडल, बीईईओ दीनबंधु मोदी, हाथकाठी मुखिया मालोती मरांडी, बीपीओ किशन भगत मुख्य रूप से उपस्थित थे। ज्ञात हो कि बीते दिनों पांच विद्यालयों उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहनपुर, उमवि, देवपुर, मदरसा रामपुर, उमवि, किताझेर व संत गोरेटी बालिका विद्यालय, तोढ़ाई का सामाजिक अंकेक्षण किया गया था। वहां दो विषयों मध्याह्न भोजन व समग्रा शिक्षा अभियान को लेकर विशेष जांच की गई थी। सामाजिक अंकेक्षण में की गई जांच के आलोक में कहा गया कि विद्यालयों में मेन्यू के अनुरूप बच्चों को एमडीएम नहीं दिया जा रहा है। एमडीएम में पोषक तत्वों की भारी कमी देखी जा रही है, विद्यालयों में सभी अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से संधारण नहीं किया गया है, विद्यालयों में एमडीएम के लिए पर्याप्त थाली नहीं है, बच्चों को घर से थाली लाना पड़ रहा है। साथ ही एमडीएम बनाते समय स्वेड्डा के सिर में कपड़ा नहीं बांधने के कारण केश भोजन में गिरने का डर बना रहता है। इसे रोकने का निर्देश दिया गया। बच्चों को पोशाक, पुस्तक ससमय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जनसुनवाई में विद्यालय की कई समस्याओं को उजागर किया गया। टीम लीडर ने बताया कि जनसुनवाई में एमडीएम को लेकर कई त्रुटि पाई गई थी, जिस पर शिक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया कि इसमें जल्द से जल्द सुधार लाएं। बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ-साथ नियमित रूप से अंडा भी उपलब्ध करायें। इस मौके पर सभी शिक्षक व सीआरपी आदि मौजूद थे।

जनसुनवाई में मौजूद ऑडिट टीम के सदस्य।

स्कूलों में सोशल ऑडिट की टीम ने की जन सुनवाई

एमडीएम व समग्र शिक्षा अभियान की हुई जांच

प्रतिनिधि ▶ हिरणपुर

राज्य स्तरीय सोशल ऑडिट की टीम ने शुक्रवार को प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की. जहां टीम के कंचन कुमार मंडल, बीइईओ दीनबंधु मोदी, हाथकाठी मुखिया मालोती मरांडी, बीपीओ किशन भगत उपस्थित थे. बीते दिनों पांच विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहनपुर, उमवि. देवपुर, मदरसा रामपुर, उमवि. किताझेर व संत गोरेटी बालिका विद्यालय तोढ़ाई की सामाजिक अंकेक्षण किया गया था. जहां दो विषय मध्याह्न भोजन व समग्र शिक्षा अभियान को लेकर विशेष जांच की गयी थी. सामाजिक अंकेक्षण में की गयी जांच के आलोक में कहा गया कि विद्यालयों में मेन्यू अनुरूप बच्चों को एमडीएम नहीं दी जा रही है, एमडीएम में पोषण तत्व की भारी कमी देखी जा रही है, विद्यालयों में सभी अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से संधारण नहीं की गई है, विद्यालयों में एमडीएम के लिए पर्याप्त थाली नहीं है, बच्चों को घर से थाली लाना पड़ रहा है साथ ही एमडीएम बनते समय स्वेड्डा सर में कपड़ा नहीं बांधने के कारण केश भोजन में गिरने का डर बना रहता है. इसे रोकने का निर्देश दिया गया. बच्चों को पोशक, पुस्तक समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. जिस पर शिक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया कि इसमें जल्द से जल्द सुधार लायें.

जनसुनवाई का उद्घाटन करते पदाधिकारी.

का संध्या प्रहरी

"बदला बरही बदलना बरही का राजन प्रहरी" दिनांक - 28/03/2019

सकारात्मक खबरों से रू-ब-रू कराना हमारा मकसद

बरही प्रखंड के चार विद्यालयों की सामाजिक अंकेक्षण के बाद हुई जन सुनवाई

22 फरवरी से 26 फरवरी तक हुई थी विद्यालय का समाजिक अंकेक्षण, पाई गई कई अनियमितता

संवाददाता बरही

जिला शिक्षा परियोजना के निर्देशानुसार 22 फरवरी से 26 फरवरी तक प्रखंड के चार विद्यालयों का समाजिक अंकेक्षण किया गया था। जिसमें मध्याह्न भोजन एवं समग्र शिक्षा अभियान के क्रियाकलाप, पंजी संधारण तथा मध्याह्न भोजन के प्राप्त राशि का भरण की जांच की गई थी। जांच के बाद पुकार को बीआरसी कार्यालय बरही में जनसुनवाई हुई। जन सुनवाई में स्टार जहरी मुमुच मंजू देवी, उप मुमुच सिकंदर राणा, 20 सूची प्रखंड अध्यक्ष गोलीलाल चौधरी, पीई एसएसए साहेब मंडल मुख्य रूप से शामिल थे। जन सुनवाई की अध्यक्षता बीईईओ अध्यक्ष चारण ने किया। जिन विद्यालयों का समाजिक अंकेक्षण के बाद जनसुनवाई हुई। उनमें मध्य विद्यालय बरही, राजकीय मध्य विद्यालय बरसोत, मध्य विद्यालय ओरसता, बेलाडीहर शामिल हैं। जांच के क्रम में समाजिक अंकेक्षण में कई विद्यालयों में कई अनियमितताएं पाई गई। सबसे खराब स्थिति धनबाद रोड स्थित गांधी बरही की रही। इसमें अंकेक्षणकर्ता द्वारा बताया गया कि मध्य विद्यालय बरही में एमडीएम का बाउचर एवं निगरानी रजिस्टर देखने को नहीं मिला था, जिसे जब्त कर लेने का निर्देश दिया गया। विद्यालय में मात्र कम्प्यूटर हैं, लेकिन सारी कम्प्यूटर खराब पड़ा हैं। सभी को कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा सकी कम्प्यूटर को तोड़कर की जरूरत हैं। ओरसता बरसोत विद्यालय के प्रधानाध्यापक शशि भूषण ने बताया कि विद्यालय में चहारदीवारी की सख्त जरूरत है चूंकि विद्यालय एनएच सड़क के किनारे स्थित हैं। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति की देय वित्तीय वर्ष 2018-19 में मात्र तीन बार हुई हैं। इसमें सुधार करने की बात कही गई। मौके पर मुखिया सीता देवी, मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापिका मीना कुमारी, बोड़ाहार मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक अरुण कुमार, बरसोत प्रधानाध्यापक शशि भूषण, मधुरा प्रसाद, विष्णुदेवी पहली, अरुण कुमार वर्मा, अशोक कुमार, नागेंद्र राम, राजेन्द्र यादव, विरजा देवी, मेनपती देवी, अमित कुमार, सुदामा प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद थे।

सामाजिक अंकेक्षण हुए विद्यालयों की जन सुनवाई करती टीम